

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 323]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 27, 2017/वैशाख 7, 1939

No. 323]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 27, 2017/ VAISAKHA 7, 1939

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

(महालेखा नियंत्रक)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2017

सा.का.िन. 412(अ).—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 283 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार खाता (प्राप्ति और संदाय) नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सरकार खाता (प्राप्ति और संदाय) संशोधन नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. केंद्रीय सरकार खाता (प्राप्ति और संदाय) नियम, 1983 में,—
 - (i) नियम 33 में,—
 - (क) खंड (भक) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(भक) जब संदायों के भिन्न भिन्न रुपों, अर्थात् संदाय सूचना/चैक/मांगदेय ड्राफ्ट/मनीआर्डर/नकद इत्यादि, से वांछित हों तो आहरण और संवितरण अधिकारी द्वारा पृथक बिल तैयार किए जाएंगे और बिल के ऊपर निम्नलिखित स्पष्टत: उपदर्शित किया जाएगा:

"(*) द्वारा संदाय"

(*संदाय सूचना या चैक या मांगदेय ड्राफ्ट या मनीआर्डर या नकद)';

- (ii) नियम 44 में,---
 - (क) उपनियम (3) में, खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—
 - "(i) सरकारी कर्मचारियों को सभी संदाय जिसके अंतर्गत वेतन संदाय भी है, बैंककारी सुविधाओं की उपलब्धता के अध्यधीन, उनके बैंक खातों में सीधे जमा करने के लिए इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षरित संदाय सूचना द्वारा किए जाएंगे:

परंतु कठिनाइ की दशाओं में, जहां कारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक रुप से अनुमोदित है, अन्य मान्यताप्राप्त माध्यमों द्वारा संदाय के लिए एक-बार में छूट प्रदान की जा सकेगी";

(ख) खंड (iii) का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 3(2)(1)/2016/TA/आर एंड पी नियम/संशोधन]

सोमा रॉय बर्मन, संयुक्त महानियंत्रक लेखा

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र अधिसूचना सं. सा.का.नि. 739, तारीख 3 सितंबर, 1987 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उसमें सा.का.नि. 268(अ) तारीख 30 मार्च, 2012 द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

(CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2017

- **G.S.R. 412(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 283 of the Constitution, the President hereby makes the following further amendments to the Central Government Account (Receipts and Payments) Rules, 1983, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Central Government Account (Receipts and Payments) Amendment Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Central Government Account (Receipts and Payments) Rules, 1983,—
- (i) in rule 33,—
 - (a) for clause (xa), the following clause shall be substituted, namely:—
 - '(xa) When payment is desired by different modes of payments i.e., payment advice/Cheque/Demand Draft/ Postal Order/ Money Order/ Cash, etc., separate bills shall be prepared by the DDOs and the following shall be clearly indicated on the top of the bills:

"Payment by (*)"

(*payment advice or Cheque or Demand Draft or Postal Order or Money Order or Cash)';

- (ii) In rule 44,-
 - (a) in sub-rule (3), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:—
 - "(i) All payments to Government servants, including salary payments, shall be made by electronically signed payment advices for direct credit to their bank accounts, subject to availability of banking facilities:

Provided that a one-time relaxation may be granted for payment by other recognized modes in cases of hardship where the reasons are duly approved by competent authority";

(b) Clause (iii) shall be omitted.

[F. No. 3(2)(1)/2016/TA/R&P Rules/Amendment]

SOMA ROY BURMAN, Jt. Controller General of Accounts

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 739, dated the 3rd September, 1987 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 268(E), dated the 30th March, 2012.